



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022024-252343
CG-DL-E-24022024-252343

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 23, 2024/फाल्गुन 4, 1945

No. 115]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 23, 2024/PHALGUNA 4, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2024

सा. का. नि.126(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कतिपय नियमों में और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य रूप से प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, सरकारी राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

आपत्तियां या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

इन प्रारूप नियमों के संबंध में आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, अपर सचिव (एमवीएल), ई-मेल: comments-morth@gov.in, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (..... संशोधन) नियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) इन नियमों में अन्यथा प्रावधान न हो, तो ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) में, नियम 115सी में,

(i) उप-नियम 5 में, -

(क) उक्त नियम के खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(ग) एलपीजी किट के साथ रेट्रोफिट किए गए वाहनों के लिए प्रकार अनुमोदन इस तरह के अनुमोदन के जारी होने की तारीख से छह वर्ष के लिए वैध होगा और इसे एक बार में हर छह वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।"

(ख) उक्त नियम के खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(घ) एलपीजी संचालन के लिए रेट्रोफिट्टेड या परिवर्तित वाहनों के लिए प्रकार की मंजूरी विशिष्ट निर्माण के वाहनों के लिए दी जाएगी और इस तरह के किट को नीचे उल्लिखित परीक्षणों की प्रयोज्यता के साथ इंजन क्षमता की निर्दिष्ट सीमा के भीतर किसी भी वाहन में रेट्रोफिटमेंट के लिए उपयुक्त माना जाएगा।

क्र.सं.	इंजन क्षमता	उप नियम (5) के खंड (क) के तहत सारणी के अनुसार लागू परीक्षण
1.	1200 सीसी से कम	बड़े पैमाने पर उत्सर्जन और सीओ ₂ उत्सर्जन
2.	1201 से 1600 सीसी	बड़े पैमाने पर उत्सर्जन और सीओ ₂ उत्सर्जन
3.	1601 से 2000 सीसी	बड़े पैमाने पर उत्सर्जन और सीओ ₂ उत्सर्जन
4.	2001 से 2500 सीसी	बड़े पैमाने पर उत्सर्जन और सीओ ₂ उत्सर्जन
5.	2501 और इससे अधिक	बड़े पैमाने पर उत्सर्जन और सीओ ₂ उत्सर्जन

(ग) खंड (झ) के पश्चात पर, निम्नलिखित मद अतःस्थापित किया जाएगा अर्थात: -

"(ज) मौजूदा अनुमोदन के लिए पुनर्वैधीकरण प्रदान करने उद्देश्य से, खंड (घ) में यथा प्रयोज्य परीक्षणों के साथ परफॉर्मेंस परीक्षण नीचे दी गई तालिका के अनुसार किया जाएगा, :-

क्र.सं.	प्रयोज्य परीक्षण	संदर्भ दस्तावेज़
1.	मास उत्सर्जन परीक्षण (टाइप I परीक्षण)	1. सीएमवी नियम 115 (18) (i), 115 (19), 115 (20) या 115 (22) जो भी लागू हो, एमओआरटीएच/सीएमवीआर/टीएपी115/116 भाग XIV अध्याय 14 अनुलग्नक 3 2. एआईएस-137
2.	ऑन-बोर्ड निदान	
3.	इन-सर्विस अनुरूपता और आईयूपीआर (प्रचलित प्रदर्शन अनुपात)	
4.	सीओ ₂ उत्सर्जन	सीओ ₂ को मापा और रिपोर्ट किया जाना है

[फा. सं. आरटी-11036/60/2021-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 02 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि.....(अ), दिनांक के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2024

G.S.R. 126(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL), email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles(.....Amendment) Rules, 2024.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred as the said rules), in the rule 115C,

(i) in sub-rule 5, -

(a) for Clause (c) of the said rule, the following shall be substituted, namely: -

“(c) Type approval for vehicles retrofitted with LPG kits shall be valid for six years from the date of issue of such approval and shall be renewed for every six years at a time.”

(b) for clause (d) of the said rule, the following shall be substituted, namely: -

“(d) Type approval for vehicles retrofitted or modified for LPG operation shall be given for vehicles of specific make and such kit shall be considered fit for Retrofitment in any vehicle within a specified range of engine capacity with the applicability of tests as mentioned below.:

S. No.	Engine Capacity	Test applicable as per table under sub rule (5) clause(a)
1.	Less than 1200 cc	Mass emission and CO ₂ emission
2.	1201 to 1600 cc	Mass emission and CO ₂ emission
3.	1601 to 2000 cc	Mass emission and CO ₂ emission
4.	2001 to 2500 cc	Mass emission and CO ₂ emission
5.	2501 and above	Mass emission and CO ₂ emission

(c) after clause (i), the following item shall be inserted, namely: -

“(j) For the purpose of granting revalidation for the existing approval, performance tests shall be carried out as per the table below, along with tests as applicable in clause (d): -

S. No.	Applicable Test	Reference Document
1.	Mass emission test (Type I test)	1.CMV Rule 115 (18)(i),115 (19),115 (20) or 115 (22) as applicable MoRTH/CMVR/TAP115/116 Part XIV Chapter 14 Annexure 3 2.AIS-137
2.	On-Board diagnosis	
3.	In-service conformity and IUPR (In-use performance ratio)	
4.	CO ₂ emission	CO2 to be measured and reported

[F. No. RT-11036/60/2021-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. _____(E) dated _____.